

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-02
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100473

दिनांक: 05/02/2026

लोक सूचना

श्री RAJENDRA PRASAD SHARMA पुत्र श्री PRAHLAD SAHAY SHARMA जाति BRAHMAN निवासी
GAUTAM BHAWAN, GAUTAM MARG, SECTOR-7, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023

श्री GOPAL SHARMA पुत्र श्री PRAHLAD SAHAY SHARMA जाति BRAHMAN निवासी
GAUTAM BHAWAN, GAUTAM MARG, SECTOR-7, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023

श्री GOVIND PRASAD SHARMA पुत्र श्री PRAHLAD SAHAY SHARMA जाति BRAHMAN निवासी
GAUTAM BHAWAN, GAUTAM MARG, SECTOR-7, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023

श्री GANESH NARAYAN JOSHI पुत्र श्री PRAHLAD SAHAY SHARMA जाति BRAHMAN निवासी
GAUTAM BHAWAN, GAUTAM MARG, SECTOR-7, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023

श्री SANTOSH KUMAR SHARMA पुत्र श्री PRAHLAD SAHAY SHARMA जाति BRAHMAN निवासी
GAUTAM BHAWAN, GAUTAM MARG, SECTOR-7, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302023

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बीडसरकारी, जयपुर (जयपुर)	1.) गणेशनारायण जोशी पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 2.) गोपाल शर्मा पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 3.) गोविन्द प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 4.) राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार 5.) सन्तोष कुमार शर्मा पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1 / 5 जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	186/1	0.3035	0.3035
				कुल	0.3035

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**|" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **05-02-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & SANDHYA JYOTI DARPAN

प्राधिकृत अधिकारी जोन-02
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

